न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0 33/2022

मंगल राम आत्मज स्व.श्री झूता जाति भंगी (हरिजन) उम्र करीबन 61 वर्ष निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थी/वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थी / प्रतिवादी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह

दिनांक 25.02.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम नलू तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान का रहने वाला है एंव ग्राम नलू में पीढी दर पीढी से स्थाई निवासी है। प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है :–स्व. श्री नारायण जी एवं छोगा जी सगे भाई थे जिसमें से स्व. श्री नारायण जी के पुत्र पांचू जी जो कि नाऔलाद फौत हुये तथा छोगा जी के पुत्र झूता जी थे एवं झूता जी के वारिसानों में से प्रार्थी है। सजरे/वंशावली में दर्शाये अनुसार श्री पांचू जी अविवाहित एंव ना औलाद फोत अथवा मृत्यू को प्राप्त हो गये थे। इस कारण से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत पांचू के पिता नारायण के बडे भाई यानी पांचू के बडे पिता स्व.श्री छोगा जी पांचू के द्वितीय श्रेणी के उतराधिकारी हुये। एंव पांचू पुत्र नारायण के ग्राम नलू की खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि पांचू के बडे पिताजी की औलाद सुयंक्त रूप से कब्जे काश्त है जिसमें किसी का भी किसी भी रूप से कोई हिस्सा दखल नही है। ग्राम नलू में खसरा संख्या 991 रकबा 1.1569 किस्म बारानी द्वितीय एव खसरा संख्या 992 रकबा 1.9012 किस्म बारानी द्वितीय इस प्रकार से कुल किता खसरा दो का कुल रकबा 3.0581 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है उक्त खसरे भूमि पर स्व. पांचू पुत्र नारायण भंगी संवत 2020–21 से काबिज होकर काश्त चला आ रहा है इस आधार पर जमाबंदी संवत 2028 की वर्किंग जमाबंदी में उक्त खसरे भूमि पर पांचू पुत्र नारायण के नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज कर अंकन किया गया है। जहा पांचू पुत्र नारायण की जाति भंगी अकिंत की गई है। जमाबंदी संवत 2039–42 की जमाबंदी में श्री पांचू पुत्र नारायण कोम भंगी साकीन देह गैर–खातेदार दर्ज है जिसमें कोम भंगी अकिंत है। जमाबंदी संवत 2042–45 के रिकॉर्ड में श्री पांचू पुत्र नारायण कोम भंगी साकीन देह गैर–खातेदार के नाम से उक्त कृषि भूमि में दर्ज है जिसमें कोम भंगी अकिंत है। जमाबंदी संवत 2044–47, 2048–51, 2052–55, 2056–59, 2060–63 एव 2067–70 से स्थायी जमाबंदी 2077 तक में राजस्व कर्मचारीयों की गलती के कारण पांचू पुत्र नारायण जाति भंगी के स्थान पर जाति भांभी दर्ज कर दिया गया है इससे पांचू की जाति भांभी हो गई तथा पांचू के वारिसानों की जाति भंगी होने से उक्त खसरे भूमि पर जो लाभ अधिकार प्राप्त होने थे जिनसे प्रार्थी एवं उसके भाई सभी वंचित रह गये है ओर हो रहे है। तथा उक्त कारण से प्रार्थी एवं उसके भाई उक्त खसरे की गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

परेशानी एंव दुविधा अनुभव हो रही है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो को मध्य नजर रखते हुये राजस्व अभिलेखों में पांचू पुत्र नारायण कोम भांभी के स्थान पर पांचू पुत्र नारायण कोम भंगी संशोधित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों को संशोधित किया जाकर जाति भंगी अंकित किये जाना चाहिये। उक्त खसरों पर जाति भंगी के स्थान पर भांभी अंकित हो पाने का ज्ञान प्रार्थी को राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने की दिनांक 26.11.2021 एंव इनके जांच व अध्ययन करने की दिनांक 26.11.2021 को प्राप्त हुआ है, इससे पूर्व प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपनी भूमि को ऑनलाईन साईट अपना खाता के माध्यम से दिनांक 07.11.2021 को नकल मिलने से इस तथ्य का ज्ञान हुआ। इस कारण से यह याचिका ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व 1 वर्ष की अन्दर मियाद में श्रीमान् के समक्ष पेश एंव प्रस्तुत है। अतः माननीय न्यायालय से अत्यन्त नम्रता से निवेदन है :– उपरोक्त प्रार्थना पत्र/वाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए संशोधित करने का आदेश पारित कर संबन्धित राजस्व कर्मचारी अथवा अधिकारी को यह निर्देश जारी किया जावें कि जमाबंदी संवत 2044–47 से आज दिन वर्तमान की जमाबंदी तक सभी राजस्व रिकार्ड में पांचू पुत्र नारायण कोम भांभी के स्थान पर कोम भंगी दर्ज एंव अंकित करने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.02.2022 को दर्ज किया गया जिसमें तहसीलदार किशगनढ द्वारा दिनांक 21.08.2023 को जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया कि ग्राम नलू की वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 991 व 992 में पांचू पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति भांभी सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। अन्य बिन्दु प्रार्थी स्वयं सिद्व करें। दिनांक 03.02.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणों के कथित पूर्वाधिकारी का गैर खातेदार का अंकन है, प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश एवं आवंटन नामान्तरण पेश नहीं किया गया है जिससे यह तथ्य प्रकट हो कि आवंटन किस नाम से हुआ। साथ ही प्रार्थी द्वारा वर्किंग जमाबन्दी को आधार बनाया गया है लेकिन प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। प्रार्थी संलग्न दस्तावेजात के आधार पर यह साबित करने में असफल रहा है कि राजस्व रिकार्ड में त्रुटि कारित हुई हो। अतः दस्तावेजात व साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ अजमेर